आयोग का अध्ययन दौरा एवं भ्रमण

मान. श्री देवलाल दुग्गा, अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा), छ.ग.राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर का केरल राज्य का भ्रमण दिनांक– 2.9.2011 से 8.9.2011 तक

मान. श्री देवलाल दुग्गा, अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा), छ.ग.राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर का केरल राज्य का भ्रमण दिनांक– 2.9.2011 से 8.9.2011 तक केरल राज्य के शासकीय प्रवास पर रहें । मान. अध्यक्ष के साथ आयोग के सदस्य सचिव श्री बद्रीश सुखदेवे, श्री एम.के.भुवाल, सहा.अनु.अधिकारी तथा पी.आर.जैन., निज सहायक भी साथ में थे ।

दिनांक– 3.9.2011 को मान. अध्यक्ष ने केरल राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण मंत्री सुश्री पी.के.जय लक्ष्मी से मंत्रालय में सौजन्य भेंट कर केरल राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं से रूबरू हुए ।

मान. अध्यक्ष महोदय को मीटिंग के दौरान श्री पदमनाभन, सचिव, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग केरल राज्य व सदस्य सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग केरल द्वारा अवगत कराया गया कि केरल राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु 2 सीट्स आरक्षित है जिसमें से एक सीट पर सुश्री जयलक्ष्मी जो आदिम जाति कल्याण मंत्री है चुनकर आई है। केरल राज्य में कुल 14 जिले, 152 विकासखंड, 978 ग्राम पंचायत तथा 05 म्यूनिसपल कारपोरेशन है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 3,64,189 है जो कि कुल जनसंख्या का 1.14 प्रतिशत तथा साक्षरता 64.4 प्रतिशत है । इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को शासकीय सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदाय किया जा रहा है, उनके द्वारा आगे अवगत कराया गया कि केरल राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग का गठन वर्ष 2007 में किया गया है । आयोग में 1 अध्यक्ष (त्मजकण्वरिष्ठ प्प।प्ैण्), 1 सदस्य सचिव(प्प।प्ैण्) तथा 2 सदस्य के पद स्वीकृत है आयोग द्वारा अनु. जाति/अनु. जनजातियों से प्राप्त आवेदन/शिकायत पत्रों पर त्वरित कार्यवाही कर राहत पहुंचाया जाता है आयोग का वार्षिक बजट 79.25 लाख बताया गया है।

जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी दी गई कि पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीदार/एस.डी.एम.द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । कतिपय मामले जिस पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने में दिक्कत होती है उसे शासन स्तर पर बने जाति प्रमाण पत्र उच्चस्तरीय छानबीन समिति को भेजा जाता है । उक्त समिति में आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव सहित अनु.जाति कल्याण विभाग के संचालक और अनु. जनजाति कल्याण विभाग के संचालक सदस्य है तथा 2 एडवोकेट होते है । यदि प्रकरण में किसी समिति को भी जाति निर्धारण करने में कठिनाई होती है तो उसे मानवशास्त्रीय अध्ययन एवं प्रतिवेदन देने हेतु आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान कालीकट भेजा जाता है । उनका प्रतिवेदन समिति को प्राप्त होने के उपरांत उक्त समिति के द्वारा संबंधित आवेदक/शिकायतकर्ता के समक्ष पक्ष/विपक्ष में निर्णय दिया जाता है । इस प्रकार वहां पर केवल शिकायत या फर्जी प्रकरणों पर ही छानबीन समिति निर्णय करती है आम प्रकरणों पर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नही है जिसमें एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. के लोगों को अनावश्यक परीक्षण के दौर से गुजरना पड़े ।

मान.अध्यक्ष द्वारा दिनांक– 3.9.2011 में तिरूवन्थपुरम स्थित अनु. जाति/अनु. जनजाति आयोग कार्यालय का भ्रमण कर वहां के अधिकारी एवं कर्मचारियों से भेंट किये एवं आयोग की गतिविधियों से अवगत हुए । आयोग में 1 सदस्य सचिव, 1 रजिस्ट्रार, 1 एकाष्ट आफिसर, 2 सेक्शन आफिसर, तीन सहायक तथा 2 कम्प्यूटर आपरेटर के पद स्वीकृत बताया गया ।

दिनांक– 5.9.2011 को मान. अध्यक्ष महोदय से एरनाकुलम जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी श्री जी.जी.थामस से भेंट कर जिले में संचालित आदिवासी योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया । उन्होंने बताया कि एरनाकुलम जिलें में 07 तहसील तथा 117 गांव है जिसमें 2391 आदिवासी परिवार निवास करते है। जिले में 05 अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती है । जिसकी औसत साक्षरता दर 65 प्रतिशत है जो के राज्य की साक्षरता औसत से अधिक है । जिले में राज्य सरकार द्वारा 27 आदिवासी कालोनी का निर्माण कर उन्हें बसाया गया है । एरनाकुलम जिले में 128 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, 106 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास संचालित है छात्र/छात्राओं को अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त 1300 प्रतिमाह भोजन हेतु प्रदाय किया जाता है । प्री मैट्रिक छात्रावास में प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के मान से, 1 वार्डन, 1 वाचमेन, 1 रसोईया तथा 1

पार्टटाईम स्वीपर का पद स्वीकृत है । जिले में 20 एस.टी.प्रमोटर्स कार्यरत है जिन्हें शासन द्वारा प्रतिमाह रू. 2000=00 मानदेय प्रदाय किया जाता है । जिले में 3 एकल शिक्षकीय विद्यालय संचालित है । उक्त विद्यालय आदिवासी क्षेत्रों में संचालित है। अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी रू. 5/– के मान से भोजन हेतु राशि प्रदाय किया जाता है । इसके अतिरिक्त छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को ट्यूशन की व्यवस्था भी की जाती है । विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को यूनीफार्म दिया जाता है । राज्य सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनु. जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को आने जाने का किराया, अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु रू. 10,000/– प्रदाय किया जाता है । प्रतिभावान एस.टी. विद्यार्थी +2, ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते है उन्हें प्रोत्साहन राशि रू 3000, 4000,4500 एवं 6000 प्रदाय किया जाता है । इसके अतिरिक्त अनु. जनजाति वर्ग की निर्धन बालिकाओं के विवाह हेतु 20,000/– रू. की सहायता राशि, अनु. जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत राहत राशि, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तथा निर्धन परिवार को मकान प्रदाय करने प्रति परिवार रू.2.50 लाख की सहायता प्रदान की जाती है । जिले में केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत अनु. जनजातियों को 100 प्रतिशत सहायता राशि शिक्षा, कृषि तथा महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु प्रदाय किया जा रहा है ।

दिनांक– 7.9.2011 को आयोग की टीम द्वारा त्रिवेन्द्रम जिले के विकासखण्ड वेल्लनाड स्थित ग्राम– पोडियाकला का भ्रमण कर कनम्किानार अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों से भेंट किया गया । उक्त ग्राम में कुल 80 आदिवासी परिवार निवासरत् है । जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 300 है । ग्राम एकल शिक्षकीय विद्यालय है जिसके कक्षा 1 से 4 तक का अध्यापन होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वेल्नाड में ही ग्रामिणजन वन विभाग द्वारा रबर, केला आदि के प्लॉटेशन कार्य में मजदूरी कर जीविकापार्जन करते है । एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नेडुल्लमंणाड में फील्ड आफिसर श्री जी. राधाकृष्णन ने बताया कि बी.पी.एल आदिवासी परिवार को योजना के तहत मकान बनाकर दिया गया है । आयोग की टीम द्वारा आदिवासी जन श्री मोहनदास, श्रीमती सुधा, श्री राधा, कु. अर्चना एवं मोनिस से भेंट किये। श्रीमती सुधा ने बताया कि उन्हें शासन द्वारा 1 रू. किलो चांवल माह में 25 किलो ग्राम प्रदाय किया जाता है । वन विभाग में दैनिक मजदूरी का कार्य करने पर उन्हें प्रतिदिन रू. 180=00 के मान से मजदूरी राशि प्रदाय किया जाता है

। वन विभाग में वाचमैन का कार्य करने वाले श्री तुलसी द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रतिदिन रू. 350=00 के मान से राशि मिलती है ।

दिनांक– 7.9.2011 मान. अध्यक्ष महोदय ने केरल राज्य के मान. मुख्यमंत्री श्री ओम्मेन चांडी से सौजन्य भेंट कर यात्रा के उद्देश्य से अवगत कराया । उक्त दिवस को केरल राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव श्री सुबैय्या जी द्वारा मान. अध्यक्ष महोदय के सम्मान में होटल में दोपहर का भोज दिया । तत्पश्चात सचिवालय में मीटिंग के दौरान उन्होंने अवगत कराया कि शासकीय सेवा में रहने वाले आदिवासी परिवार को छोड़कर शेष आदिवासी परिवार को बी.पी.एल की श्रेणी में रखा गया है । आदिवासी परिवारों को रबर या अन्य खेती में छूट प्रदाय किया जाता है । राज्य में अनु. जनजातियों हेतु 18 माडल स्कूल संचालित है । जिनमें कक्षा एक से बारहवीं तक की पढ़ाई होती है विद्यार्थियों को यूनिफार्म, पुस्तकें तथा छात्रवृत्ति प्रदाय किया जाता है । छुटिटयों से घर आने जाने हेतु बच्चों एवं अभिभावकों को आने जाने के बस का किराया प्रदान किया जाता है । केरल राज्य के 05 शासकीय एवं 07 अशासकीय मेडिकल कालेज संचालित है जिसमें 13 एस.टी. विद्यार्थी अध्ययनरत है । राज्य शासन द्वारा जो एस.टी. विद्यार्थी विदेश में अध्ययन करना चाहते है । उन्हें सहायता पहुंचाने का प्रावधान है । आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु 42 बालवाड़ी केन्द्र संचालित किया जा रहा है जिसमें 5 वर्ष के बच्चे रहते है । एस.टी. विद्यार्थी को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु 03 पी.ई.टी.सी. तथा 1 ए.आई.पी.ई.टी.सी. संचालित है । राज्य के कुल 35 अनुसूचित जनजातियां निवासरत है । जिसमें से 05 विशेष पिछड़ी जनजातियां है । केरल राज्य में कुल 07 आई.टी.डी.पी., 09 टी.डब्ल्यू.डी.आफिसर तथा 48 ट्राईबल आफिसर कार्यरत है । अनु. जाति/जनजातियों हेतु रू. 3.00 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला कलेक्टर रू. 3 करोड़ तक की राशि की स्वीकृति विभागीय सचिव तथा उससे ऊपर की राशि की स्वीकृति वित्त सचिव द्वारा दिया जाता है । प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में अनु. जनजाति के आर्थिक विकास हेतु दो कारपोरेशन कार्यरत है । (1) एस.टी./एस.सी. फ्रिशचन कनवर्टेड इलीजिबल कारपोरेशन (2) केरल राज्य एस.टी./एस.सी. विकास निगम राज्य में वायनाड जिला सबसे अधिक आदिवासी बाहुल्य जिला है । जहां पर लगभग 37 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या निवासरत्

है । आदिवासी परिवार को प्रति परिवार 1 एकड़ के मान से भूमि दी जाती है। अभी तक राज्य में 4 एस.टी. डाक्टर तथा 15 एस.टी. इंजीनियर बने है ।

केरल राज्य की जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से अधिक राज्य सरकार में मंत्रीमंडल में स्थान प्रदान किया गया है, इसके साथ ही शासकीय सेवाओं में भी आरक्षण प्रतिशत अधिक है ।

पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय करने हेतु ए.टी.एम.कार्ड दिया गया है । छात्रावास आश्रमों के बच्चों एवं उनके पालकां को गर्मी/ओणम तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु आने जाने का किराया देना अत्यंत सराहनीय कदम है ।

(बद्रीश सुखदेवे)
सदस्य सचिव
छ.ग.राज्य अनुसूचित जनजाति
आयोग, रायपुर